



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 03 अभियुक्तों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 73ए/2013 धारा-323,324 ,504,325 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.सन्तराम पुत्र रामसेवक 2.मनीराम पुत्र रामसेवक 3.हेतराम पुत्र रामसेवक निवासीगण ग्राम भुलसी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास व 9,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
एडीजीसी श्री राजेश  
कुमार तिवारी



विवेचक-  
एसओ विष्णु  
कुमार मिश्रा



पैरोकार- थाना सिसोलर  
हे0का0 राघवेन्द्र